आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/डी–1/वीएस/डीईएस/2015/I/48792/2016 दिनांकः- 12-4-2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला ......समस्त.........

विषयः– जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भः– निदेशालय का परिपत्र क्रमांक 34381 दिनांक 03.07.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन/संशोधन एवं जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में तिथि परिवर्तन/संशोधन के संबंध में मार्गदर्शन भिजवाया गया था। परन्तु देखा गया है कि अभी भी अधिकांश जिला रजिस्ट्रार द्वारा सामान्य प्रवृत्ति के प्रकरण भी निदेशालय भिजवा दिये जाते है, वस्तुतः निदेशालय में काफी प्रकरण एकत्रित हो जाते है। जबकि सामान्य प्रकरण का निस्तारण जिला स्तर से भी किया जा सकता है।

निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 43996 दिनांक 12.01.2016 के द्वारा आमजन की सुविधा एवं कार्य के त्वरित निष्पादन को ध्यान में रखते हुएं ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को ब्लॉक में रजिस्ट्रीकरण कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। साथ ही ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को उसके क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) के पासवर्ड रिसेट करने, "पहचान" वेबपोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड कराने के उपरान्त इसका अनुमोदन एवं पंजीकृत घटनाओं में मार्गदर्शन के लिए अधिकृत किया गया है तथा निदेशालय के पत्रांक 47034 दिनांक 09.03.2016 के द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्तीकरण (Cancellation) के अधिकार प्रदान किए गये है। तत्पश्चात् भी जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर प्रकरणों का निस्तारण नही किये जाते है अपितु प्रकरण निदेशालय भिजवाये जाते है, जिससे आमजन को कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2020 तक जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण को सर्वव्यापी बनाने के लिए भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी 'विजन 2020' की घोषणा की है। इसी परिप्रेक्ष्य में जन्म–मृत्यु पंजीकरण के शत् प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास हेतु भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा गठित टीम का विभिन्न जिलों में भ्रमण किया गया था। भ्रमण के दौरान पाया गया कि ब्लॉक स्तर/सीएचसी/पीएचसी पर रिपोर्टिंग फार्म की छायाप्रतियां प्रयोग में ली जा रही थी। रिपोर्टिंग फार्म उपयोग नहीं करने पर अवगत कराया गया कि जिला कार्यालय से रिपोर्टिंग फार्म उपलब्ध नहीं कराये जाते है। रिपोर्टिंग फार्मस को ब्लॉक स्तर/सीएचसी/ पीएचसी स्तर पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में विशिष्ट प्रवृति के प्रकरण एवं जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के संबंध में प्रकरण में मार्गदर्शन लेने से पूर्व स्वयं के स्तर पर जाँच कर, जाँच रिपोर्ट तथ्यों सहित अपनी अनुशंषा/मत सहित जन्म और मृत्यु रजि. अधि.1969 एवं राज्य नियम 2000 के प्रावधानों की पालना करते हुए भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव